106

3

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

R-1255-II/13

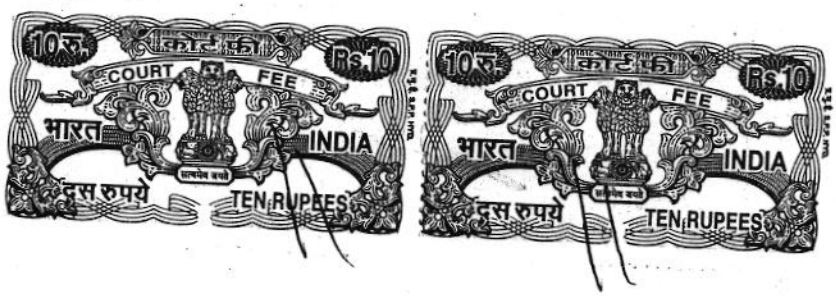

राकेश पाण्डेय तनय श्री नरेशप्रसाद पाण्डेय उम्र 38 साल, निवासी अजगरहा, पो0अजगरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

---आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय रीवा

---अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के न्यायालय के प्र0क्र0 31बी. 121/12-13 राकेश पाण्डेय बनाम शासन मे पारित आदेश दिनांक 7.3.13 व 8.3.13 के आदेश के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा0 संहिता

(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी/1255/तीन/13 जिला रीवा **राकेश पाण्डेय / म.प्र.शासन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता 1959' (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-03-13 व 08-03-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2- यह पुनरीक्षण प्र0क्र0 1255/तीन/18 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्र 19651/13 एवं 8614/2014 में पारित आदेश दिनांक 29-01-18 के आलोक में पुन: सुनवाई हेतु लिया गया है। 3- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादग्रस्त आराजी क्रमांक 80 रकबा 1.18 ए. स्थित ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा की इत्तलावी दर्ज करने बाबत् एक आवेदन पत्र आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 16-01-13 के द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर अभिलेख में अमल करने का आदेश पारित किया गया । इसके पश्चात तहसीलदार के समक्ष एक शिकायती आदेवन प्रस्तुत हुआ कि म.प्र. शासन की भूमि पर फर्जी प्रविष्टि कराई जाकर राकेश पाण्डेय का नाम दर्ज किया गया है। तहसीलदार ने उसे संज्ञान में लेते हुए दिनांक 07-03-13 को पुन: आदेश पारित किया जिसमें आवेदक के खिलाफ शासकीय भूमि हड़पने का आरोप लगाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये का उल्लेख करते हुए पूर्व में पारित प्रविष्टि आदेश दिनांक 16-01-13 को निरस्त कर दिया दिनांक 08-03-13 को शिवेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा आदेश दिनांक 15-02-90 का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार द्वारा उस आवेदन पर जबाब हेतु आवेदक को आहूत करने का आदेश दिया गया। 4- आवेदक द्वारा तहसीलदार के उक्त दोनों आदेश दिनांक 07-03-13 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है जो आदेश दिनांक 02-04-13 से निराकृत हुई इसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता उपेन्द्रमणि द्वारा इस न्यायालय में रिव्यू प्रक्र 2089/दो/13 संस्थित किया गया जो आदेश दिनांक 20-08-13 द्वारा निरस्त किया गया। इसके विरूद्ध उपेन्द्रमणि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्र 19651/13 एवं 8614/2014 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निगरानी प्रकरण	

निग/1255/तीन/13 को पुन: सुनवाई में लिया जाकर आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। यद्यपि नवीन संशोधित भूराजस्वसंहिता 2018 के अंतर्गत यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सुनवाई योग्य नहीं है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह निगरानी पुन: सुनवाई में लिया जाकर प्रकरण निराकरण किया जा रहा है।

5- आवेदक के अधिवक्ता एवं आपत्तिकर्ता / अनावेदक-2 के अधिवक्ता एवं शासन के अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार हुजूर द्वारा दिनांक 16-01-13 को आवेदक के पक्ष में अभिलेख में अमल करने का आदेश पारित किया गया। इसके उपरांत शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण का पुन: परीक्षण किया तथा पाया कि मप्र शासन की भूमि पर. फर्जी प्रविष्टि कराकर राकेश पाण्डेय आवेदक का नाम दर्ज किया गया है। पटवारी ने संपूर्ण जांच किये बिना मप्र शासन की प्रशनाधीन भूमि को आवेदक के नाम दर्ज कर दिया है जो कि उनकी घोर लापरवाही का घोतक है। तहसीलदार द्वारा यह भी माना है कि आवेदक राकेश पाण्डेय द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वह त्रुटिपूर्ण है तथा आवेदक के विरूद्ध पूर्व से ही अतिक्रमण का मामला प्रचलित है।

अत: उक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 07-03-13 को पारित किया गया उक्त आदेश पूर्णत: उचित है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा इसी क्रम में तहसीलदार का आदेश दिनांक 08-03-13 का आदेश व्यर्थ हो जाने से निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जाती है। परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 07-03-13 स्थिर रखा जाता है।

10/01/2015

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य